राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

जमीन की वापसी के लिए फूलदेव उरांव, जिला–लोहरदगा के मामले में 31.12.2012 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

सं0 पीओ/7/2012/एसटीजीटीएच/डीईएलएएएल/आर.यू.–IV

श्री फूलदेव उरांव, अध्यक्ष, आदिवासी मूलबासी रक्षा मंच, गांव–सिटियो, जिला–लोहरदगा ने माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली को सम्बोधित दिनांक 16.09.2012 के अपने अभ्यावेदन में एक स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मैसर्स पवनजय स्टील एण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड द्वारा ली गयी भूमि को वापस कराने के लिए निवेदन किया है। अपने अभ्यावेदन में श्री उरांव ने आरोप लगाया है कि कम्पनी ने जनजातीय लोगों से संबंधित 60 एकड़ तथा गैर जनजातीय लोगों से संबंधित 20 एकड़ जमीन, सभी को रोजगार उपलब्ध कराने के वादे के साथ, कुल 80 एकड़ कृषि भूमि ले ली थी। जिन लोगों ने अपनी जमीन कम्पनी को बेची थी उनके लिए कम्पनी ने विद्यालय एवं अस्पताल खोलने और सभी घरों में बिजली उपलब्ध करवाने का वादा भी किया।

सरकार के आदेश के अनुसार मैसर्स पवनजय स्टील एण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड द्वारा 800 रू0 प्रति डेसीमल की दर से जमीन खरीदी जानी थी परन्तु कम्पनी ने जनजातीय लोगों को केवल 400 रू0 प्रति डेसीमल का भुगतान किया एवं 800 रू0 प्रति डेसीमल पर हस्ताक्षर लिए। दिनांक 6 सितम्बर, 2012 के प्रभात खबर में प्रकाशित समाचार के अनुसार कम्पनी का समझौता ज्ञापन रद्द कर दिया गया है। अतः मंच निवेदन करता है कि जनजातीय लोगों एवं गैर जनजातीय लोगों से संबंधित जमीन उन्हें वापस की जाए।

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि उपायुक्त, लोहरदगा से रिपोर्ट मंगायी जाएं। तद्नुसार दिनांक 09.10.2012 के पत्र संख्या पीओ/7/2012/एसटीजीटीएच/डीईएलएएएल/आर.यू.–IV के द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा के साथ मामला उठाया गया परन्तु निर्धारित 10 दिनों के अवधि के भीतर आयोग में मामले पर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में दिनांक 31.12.2012 को उपायुक्त, लोहरदगा के साथ मामले पर चर्चा करने का निर्णय लिया। श्री सुधांशु भूषण बरवार, उपायुक्त, लोहरदगा, श्री बदरीनाथ चौबे, अपर जिला मजिस्ट्रेट, लोहरदगा के साथ बैठक में उपस्थित हुए। माननीय अध्यक्ष ने चर्चा शुरू की एवं कहा कि सीएनटी अधिनियम, 1908 के अनुसार उपायुक्त, जनजातीय भूमि का अभिरक्षक एवं संरक्षक होता है परन्तु पूववर्ती उपायुक्त श्रीमती आराधना पटनायक ने सीएनटी अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण किए बिना जनजातीय भूमि को मैसर्स पवनजय स्टील एण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड को बेचने की स्वीकृति दी है। जनजातीय भूमि गैर जनजातीय व्यक्तियों को नहीं बेची जा सकती। यह केवल पट्टे पर दी जा सकती है वो भी 5 से 10 वर्षों की सीमित

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अवधि के लिए। मैसर्स पवनजय को भूमि बेचने के लिए 800 रू0 प्रति डेसीमल की दर बेचने का करार हुआ था, परन्तु कम्पनी ने जमीन के मालिक को 400 रू0 प्रति डेसीमल की दर से भुगतान किया और 800 रू0 प्रति डेसीमल पर हस्ताक्षर लिए। मैसर्स पवनजय स्टील एण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड के नाम में लगभग 80 एकड़ जनजातीय एवं गैर जनजातीय जमीन पंजीकृत थी। परन्तु जमीन का नामांतरण कपट के आधार पर अस्वीकृत हुआ। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि नामांतरण के लिए तीन बातें होनी चाहिए अर्थात i) जमीन का पंजीकरण ii) जमीन का कब्जा और iii) रैयत से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैसर्स पवनजय कम्पनी का जमीन पर कब्जा नहीं था, रैयतें जमीन पर कब्जाधारी थीं। अभ्यावेदक श्री फूलदेव उरांव को अपर जिलाधीश, श्री बदरीनाथ चौबे ने राज्य सरकार अर्थात् उपायुक्त एवं राजस्व मंडल के सदस्य को सीएनटी अधिनियम की धारा 5 के तहत पट्टे के करार को रद्द करने एवं उन्हें जमीन वापस करने के लिए एक आवेदन देने के लिए कहा।

अभ्यावेदक ने माननीय अध्यक्ष को यह भी सूचित किया कि भूमि के लिए विरोध के दौरान उनके विरूद्ध कुछ प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गयी। इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्टें वापस ले ली जाएंगी। अपर जिलाधीश को दिनांक 09.10.2012 के पत्र सं0 पीओ/7/2012/एसटीजीटीएच/डीईएलएएएल/आर.यू.–IV की एक प्रति दी गयी और पत्र में चाहे गए बिन्दुवार उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

Rameshwar Oraon.

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi